राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2030/2024

डॉ. मोहित कुमार जैन —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–I), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्राचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज एवं संबंद्ध अस्पताल समूह, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 14.06.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी सहायक प्रोफेसर के पद पर वर्ष 2016 में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में पदस्थापन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को एसोसियट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–3) को उपस्थिति प्रस्तुत कर दी थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से मेडिकल कॉलेज बीकानेर किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–1 ए) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रोफेसर, एसोसियट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर सर्जरी के 42 पद सृजित बताये है तथा वर्तमान में 31 प्रोफेसर कार्य कर रहे है तथा 11 पद रिक्त है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी ग्रेड–3/4 एसीएल लिंगामेंट इंजरी से पीड़ित

है तथा अपीलार्थी का सी.के. बिरला हॉस्पिटल, जयपुर में ईलाज चल रहा है तथा अपीलार्थी को ऑपरेशन करवाये जाने की सलाह दी गई है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण 500 कि.मी. दूर किया गया है, जो विधि विरूद्ध है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में ईएनटी डॉक्टर के पद पर सीजीएचएस, जयपुर में पदस्थापित है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति–पत्नि को जहां तक संभव हो एक ही स्थान पर अथवा आस–पास पदस्थापित रखा जाना चाहिये, का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी के बच्चे भारतीय विधा भवन विधाआश्रम, जयपुर में अध्ययन कर रहे है, जिनके अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है (अनुलग्नक–7)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए उचित निर्देश देवे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर से मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में प्रशासनिक आधार पर किया गया तथा दिनांक 08.06.2024 को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूची में सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में ऐसोसियट प्रोफेसर सर्जरी के 09 पद स्वीकृत है, जिनके विरूद्ध 14 ऐसोसियट प्रोफेसर (सर्जरी) कार्यरत है अर्थात 05 अधिक कार्य कर रहे है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना एवं विधिक विसंगति प्रतीत

नहीं होती है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य